बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

सं० 11/उत्पाद नीति–01–03/2021/.....3671........बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 यथा संशोधित नियमावली, अधिसूचना सं0–11/उत्पाद नीति–01–03/ 2021–2458, दिनांक–05 अप्रैल, 2022 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**
   (1) यह नियमावली बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2023 कहलाएगी।
   (2) यह नियमावली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
   (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और सभी लंबित मामलों पर लागू होगा।
2. **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12(क) (शास्ति के भुगतान पर वाहनों, सवारी आदि को छोड़ना) के उप नियम (2) का प्रतिस्थापन** :– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 का नियम 12 (क) (शास्ति के भुगतान पर वाहनों, सवारी आदि को छोड़ना) का उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

"**(2)** शास्ति की राशि का विनिश्चय समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। शास्ति अधिरोपण करते समय, वह पदाधिकारी बरामद मादक द्रव्य की मात्रा, वाहन स्वामी की संलिप्तता और वाहन का नवीनतम बीमाकृत मूल्य का उचित ध्यान रखेंगे। किसी भी स्थिति में, शास्ति वाहन के बीमाकृत मूल्य के 10 प्रतिशत से कम और 05 (पॉच) लाख रूपये से अधिक नही होगी। बीमाकृत मूल्य बीमा कम्पनी द्वारा आकलित वाहन का मूल्य है। जहॉ, बीमाकृत मूल्य उपलब्ध नही है अथवा समाहर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वाहन अल्प मूल्यांकित है, वह जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्राप्त करेगा।

किसी भी दशा में समाहर्त्ता जब्ती तिथि से 15 दिन से अधिक इंतजार नहीं करेगा और यदि इस अवधि के दौरान अभियुक्त/स्वामी शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो वह अधिहरण/नीलामी की कार्यवाही करेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(के0के0 पाठक)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांकः–11 / उत्पाद नीति–01–03 / 2021 पटना, दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः–उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

ह0 / –
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
बिहार।

Government of Bihar
Prohibition, Excise and Registration Department
N O T I F I C A T I O N

No. 11/Utpad Niti- 01-03/2021/............. In exercise of the powers conferred under Section-95 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 the Government of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Prohibition & Excise Rules, 2021 as further amended vide notification no. No. 11/Utpad Niti-01-03/2021-2458, dated-05th April, 2022:-

1. **Short title, extent and commencement: -**
   (1) These rules may be called The Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Rules, 2023.
   (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
   (3) It shall extend to the whole of the State of Bihar and shall apply to all pending cases.

2. **Substitution of sub-rule (2) of Rule 12A (Release of Vehicles, Conveyance etc on Payment of Penalty) of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021: -** The sub-rule (2) of Rule 12A (Release of Vehicles, Conveyance etc on Payment of Penalty) of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 shall be substituted with the following: -

   "**(2)** The amount of penalty shall be as decided by the Collector or the Officer authorized by him. While imposing the penalty, he shall have due regard to the quantity of intoxicant recovered, involvement of the vehicle owner and the latest insurance value of the vehicle. In no case, the penalty should be less than 10% of the insured value of the vehicle and more than Rs. 5 lakhs. The insured value is the value of the vehicle as assessed by the insurance company. Where, the insured value is not available or the Collector or the Officer authorized by him has reason to believe that the vehicle is undervalued, he shall get the valuation done by the District Transport Officer.

In any case, the Collector shall not wait beyond 15 days from the date of seizure and if during this period, the accused/owner does not pay up the penalty, he shall proceed with the confiscation/auction."

By the order of Governor, Bihar

Sd./-
(K.K Pathak)
Additional Chief Secretary to the
Government, Bihar.

ज्ञापांकः–11/उत्पाद नीति–01–03/2021 पटना, दिनांकः–...........................

प्रतिलिपिः–ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 सहित)/अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 मुद्रित प्रतियॉ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

ह0/–
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांकः–11/उत्पाद नीति–01–03/2021 पटना, दिनांकः–...........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांकः–11/उत्पाद नीति–01–03/2021 3671 पटना, दिनांकः–31.05.23

प्रतिलिपिः–आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/उत्पाद रसायन परीक्षक/अपर मुख्य सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव,
बिहार।